अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–01/2024

बालेश्वर मुण्डा बनाम सरस्वती देवी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30/04/25	बालेश्वर मुण्डा, पिता–बिरजु मुण्डा ग्राम–सौंदा बस्ती थाना–पतरातु जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–01/2019/09/21-22 बालेश्वर मुण्डा बनाम् सरस्वती देवी में दिनांक–13.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। तदोपरांत उभय पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचना निर्गत कर दिनाक–16.02.2024 को वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि वर्तमान अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–01/2019/09/21-22, बालेश्वर मुंडा बनाम सरस्वती देवी में दिनांक 13/06/2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। वाद दायर करने की तिथि के 10–11 वर्षों पूर्व से वह प्रश्नगत् भूमि से बेदखल है। खाता संख्या–69, प्लॉट संख्या–661, रकबा 97 डिसमिल एवं अन्य भूमि ग्राम–सौंदा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ की भूमि अंतिम कैडस्ट्रल सर्वे एवं बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान दिलका पाहन के नाम पर दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता दिलका पाहन के उत्तराधिकारी है तथा मुंडा जाति के है, जो अनुसूचित जनजाति के दायरे में आता है। खाता संख्या 69, प्लॉट संख्या 661, रकबा 97 डी० तथा अन्य भूमि कैडस्ट्रल सर्वे खतियान में पाहनाई भूमि दर्ज है, जो दिलका पाहन, पिता–कुसा पाहन के नाम पर है। कोई भी व्यक्ति पाहनाई भूमि पर अधिकार, हित तथा कब्जा नहीं प्राप्त कर सकता है। यह पूर्णतः पुजारी की भूमि है, जिसने इस पर पूर्णतः कार्य किया है। लगान रसीद खखुवा मुंडा, पिता–दिलका मुंडा के पक्ष में निर्गत की जा रही है, जो याचिकाकर्ता के पूर्वज हैं। अंचल अधिकारी पतरातू ने भी वर्तमान मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें कहा है कि विचाराधीन भूमि आदिवासी भूमि है और अपीलकर्ता को 11 वर्षों के भीतर विचाराधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया है। निचली अदालत ने विधिसम्मत् आदेश पारित न करते हुए, सिविल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर, अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए प्रश्नगत् भूमि के भू–वापसी का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि यह कि अपीलार्थी बालेश्वर मुण्डा, अरूण मुण्डा, धनेश्वर मुण्डा एवं सुरेन्द्र मुण्डा के आवेदन के आलोक मे द्वितीय पक्ष के खोपना साव, भुनेश्वर साव, बालगति देवी, निवासी ग्राम सौन्दा बस्ती, थाना–पतरातु जिला–रामगढ़ के विरूद्ध खाता नं0–34, प्लॉट नं0–559, रकबा–10 डी०, खाता नं0–36 प्लॉट नं0–162, रकबा–03 डी०, खाता नं0–69, प्लॉट नं0–661, रकबा–97 डी० एवं खाता नं0–69, प्लॉट नं0–531, रकबा–39 डी० पर भू–वापसी की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अंचल अधिकारी पतरातु से पत्रांक 673/रा०, दिनांक 23.08.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी पतरातु द्वारा पत्रांक–1587, दिनाक–22.11.2014 के द्वारा न्यायालय मे जाँच	

प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। खोपना साव, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। भुनेश्वर साव की मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर उनके पुत्र महानंद प्रसाद एवं जयप्रकाश प्रसाद, पिता–बालकिशुन प्रसाद, निवासी ग्राम–सौन्दा बस्ती को मुनेश्वर साव के स्थान पर प्रतिस्थापित हुए। बालमती देवी के वंशज न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु बाद में आना छोड दिए। इसका भू–वापसी वाद सं0–19/2014–2015/25/2015–2016 है। उभय पक्षों को सुनने उनके द्वारा वायर कागजातों के विश्लेषण करने एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2017 को आदिवासी रैयत के भू–वापसी के आवेदन को स्वत्व का मामला मानते हुए व्यवहार न्यायालय में जाने का आदेश दिए। बालेश्वर मुण्डा द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ के न्यायालय में भू–वापसी वाद सं0–01/2019 मात्र सरस्वती देवी के विरूद्ध दायर किये, जिसका भू–वापसी अपील वाद सं0–01/2019 बालेश्वर मुण्डा बनाम् सरस्वती देवी है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आलोक में न्यायालय द्वारा भू–वापसी अपील के अभिलेख को पुर्नसमीक्षा हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्ता, रामगढ के पास वापस भेज दिये। अपर समाहर्त्ता रामगढ के पत्रांक 485/रा० दिनांक 16.03.2021 के द्वारा अभिलेख पुर्नसमीक्षा हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ को प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर भू–वापसी वाद सं0–01/2019/09/2021–22 बालेश्वर मुण्डा बनाम् सरस्वती देवी का अभिलेख खोला गया। दिनांक–11.04.2022 को द्वितीय पक्ष के द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर बतलाया गया कि सरस्वती देवी का निधन दिनांक 14.03.2022 को हो गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा सरस्वती देवी की पुत्री मयुराक्षी कुमारी एवं एक अन्य फरिकेन शकुंतला देवी को द्वितीय पक्ष बनाने के लिए आवेदन दिया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक–20.04.2023 को स्वीकार किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ द्वारा सभी तथ्यों एवं उभय पक्षो को सुनने के पश्चात् दिनांक 13.06.2023 को अंतिम आदेश पारित करते हुए लिखे कि तत्कालिन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ द्वारा दिनाक 17.03.2017 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अत उपरोक्त मंतव्य के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ द्वारा दिनांक 13.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, रामगढ के न्यायालय में पून: भू–वापसी अपील वाद सं0–01/2023–24 बालेश्वर मुण्डा बनाम् सरस्वती देवी दायर किये। अपीलार्थी द्वारा यह जानते हुए कि सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 14.03.2022 को हो गई है। उन्हीं के नाम से पुन: अपील दायर किये जो नियम विरूद्ध है। उत्तरवादी के तरफ से दिनाक 04.12.2023 को मयुराक्षी कुमारी एवं शकुंतला देवी उत्तरवादी सरस्वती के स्थान पर अपना नाम प्रतिस्थापन करने हेतु आवेदन दायर किये, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि के वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। ग्राम–सौन्दा, थाना न०–24, थाना–पतरातु जिला–रामगढ का खाता नं0–69 का खतियान दिलका पहान वल्द पुसा पहान वास्ते भूत पुजाई बना है। प्रश्नगत भूमि का वस्तु स्थिति निम्न प्रकार से है। ग्राम–सैन्दा के जमीन्दारी में जमीन्दार गोपिनाथ महतो वल्द गुरूदयाल महतो एक

हिस्सा के मालिक थे। दस्तावेज संख्या–416 दिनाक–08.03.1919 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार खाता नं0–69 का रैयत दिलका पाहन दिनांक–06.03.1919 को उपायुक्त, हजारीबाग के इजलास में आवेदन देकर खाता नं0–69, प्लॉट नं0–661 रकवा–97 डी० भूमि के बदले दूसरा भूमि प्राप्त कर जमिन्दार गोपीनाथ महतो को प्लॉट नं0–661, रकवा–97 डी० भूमि पर दखलकार माना तथा खतियानी रैयत दिलका पाहन बदले में प्राप्त भूमि पर दखलकार हुआ। ग्राम–सौन्दा के जमीन्दार गोपीनाथ महतो, खाता नं0–69 प्लॉट नं0–661, रकवा–97 डी० भूमि को बदलैन में प्राप्त कर उसके शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में रहते हुए हुलास नारायण महतो से भूमि का उचित सलामी लेकर तथा एक रूपया सालाना मालगुजारी निर्धारित कर निबंधित रैयती बदोबस्ती दस्तावेज संख्या–416 दिनांक 08.03.1919 के द्वारा ग्राम–सौन्दा, थाना नं0–24, थाना–रामगढ़, हाल थाना–पतरातु, जिला हजारीबाग, हाल जिला–रामगढ़ के खाता नं0–69 प्लॉट नं0–661 रकवा–97 डी० भूमि बदोबस्त कर दिया तथा भूमि पर दखल कब्जा देकर दखलकार माना। हुलास नारायण महतो 97 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए भूमि को जोत–आबाद कर कृषि कार्य किये तथा जमींदार के सिरिश्ते में मालगुजारी अदा कर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये। हुलास नारायण महतो ग्राम–सौन्दा के खाता नं0–69, प्लॉट नं0–661, रकवा–97 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए निबंधित बिक्रय दस्तावेज सख्या–708 दिनांक–16.04.1931 के द्वारा भुनेश्वर महतो वल्द उमानाथ महतो से 45 रूपया मूल्य प्राप्त कर बिक्री कर दिया तथा शांतिपूर्ण दखल–कब्जा देकर दखलकार माना। भुनेश्वर महतो 97 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए भूमि को जोत–आबाद कर विकसित कर कृषि योग्य बनाया तथा कृषि कार्य करते हुए दखलकार हुए। भुनेश्वर महतो भूमि के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में रहते हुए जोत–आबाद कर कृषि कार्य किये तथा जमींदार के सिरिस्ते में मालगुजारी अदा कर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये। जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् बिहार सरकार भुनेश्वर महतो को रैयत मानते हुए जमाबन्दी खोलकर मालगुजारी प्राप्त कर सरकारी रसीद निर्गत किया, जो पजी–11 के पेज नं0–152/1 में दर्ज है। भुवनेश्वर महतो, के नाम से जमाबन्दी चल रहा है, इस तथ्य की पुष्टि अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन से होता है, दूसरी ओर अपीलार्थी या इनके पूर्वज के नाम से प्रश्नगत प्लॉट नं0–661 का जमाबन्दी नही चल रहा है। भुनेश्वर महतो की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र महानन्दन प्रसाद एवं जय प्रकाश प्रसाद 97 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आये तथा सम्पूर्ण भूमि पर चाहरदिवारी बनाकर तथा कुआं का निर्माण कर कृषि कार्य किये। इस तथ्य की पुष्टि अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा पत्रांक–04 (भू) दिनांक–26.06.2014 के द्वारा भूमि सुधार समहर्ता, रामगढ़ को भेजे गये जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों से होता है। हाल सर्वे में महानन्दन प्रसाद एव जय प्रकाश प्रसाद के द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कैम्प कोर्ट बरकाकाना में सी०एन०टी० एक्ट की धारा–83 के तहत एक आवेदन दायर कर खाता न0–69 हाल खाता नं0–297 में सुधार का आवेदन दिये। जिसका वाद सख्या 118/0 है। इस वाद में प्रतिवादी सुकरा मुण्डा वगैरह है जो वर्तमान भू–वापसी के मुकदमा के अपीलार्थी के परिवार के सदस्य है। पुराना खाता नं0–69, हाल खाता नं0–297 बना पुराना प्लॉट नं0–661 का हाल प्लॉट

नं0 931 रकवा–90 डी० तथा पुराना प्लॉट नं0–661 का हाल प्लॉट नं0–932 रकवा–03 डी० बना उभय पक्षों को सुनने उनके द्वार प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् ग्राम–सौन्दा का हाल खाता नं0–297 के प्लॉट नं0–931 एवं 932 को महानन्द प्रसाद एवं जय प्रकाश प्रसाद के नाम से खाता खोल कर दर्ज करने का आदेश दिये। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को दिवानी न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। बन्दोबस्त पदाधिकारी ने यह आदेश भी दिया कि प्लॉट नं0–931 का रकवा सुधार कर 20 डी0 के स्थान में 94 डी० करें। महानन्द प्रसाद के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी सरस्वती देवी–एवं जय प्रकाश प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी शकुन्तला देवी 97 डी० भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आयी तथा पूर्व के भांति जोत आबाद कर कृषि कार्य कर रहीं है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष प्रश्नगत 97 डी० भूमि पर मकई का फसल लगाया गया है। सरस्वती देवी के मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्री मयुराक्षी कुमारी दखलकार है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी एवं इनके पूर्वज वर्ष–1931 से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा मे चले आ रहे हैं, साथ ही भूमि पर इनका वैध अधिकार, हक एवं स्वत्व कायम है तथा भूमि से संबंधित अकाट्य कागजात विपक्षी के पास है। छोटानागपुर काश्ताकरी अधिनियम की धारा– 46 (4)(A) के प्रावधान के अनुसार किसी भी आदिवासी रैयत के द्वारा भूमि से बेदखली के 12 वर्षों के अन्दर भू–वापसी का आवेदन दायर करना आवश्यक है। आदिवासी रैयत द्वारा बेदखली के 12 वर्षों के पश्चात् भू–वापसी का आवेदन दायर किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। वर्तमान मामले में आदिवासी रैयत द्वारा भू–वापसी का आवेदन 07.01.2015 को दायर किया गया है। इसलिए आदिवासी रैयत के भू–वापसी के आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 46(4)(A) का प्रावधान लागू नहीं होता है। अपीलार्थी के खाता नं0–69 का जमाबन्दी में प्रश्नगत प्लॉट नं0–661, रकवा–97 डी० भूमि शामिल नहीं है। यहां यह बतलाना असंगत नहीं होगा कि अपिलार्थी द्वारा खाता नं0–63 प्लॉट नं0–661 रकवा–97 डी० भूमि को लेकर धारा–144 द० प्र० सं० का एक मुकदमा दायर किये थे जिसका वाद संख्या 140/15 धारा–144 बालेश्वर मुण्डा बनाम जय प्रकाश प्रसाद है। यहां विचारणीय बिन्दु यह है कि धारा–144 द० प्र० सं० की कार्यवाही में पक्षकार भूमि पर दखलकार होता है। बेदखली से बचने के लिए धारा–144 द० प्र० सं० की कार्यवाही की जाती है। दूसरी ओर भू–वापसी की कार्यवाही में पक्षकार लिख के देता है कि मैं भूमि से बेदखल हूँ। अर्थात अपीलार्थी को यह पता नहीं है कि भूमि से ये बेदखल है या दखलकार है। निम्न न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के लिए महानन्द प्रसाद एवं जय प्रकाश प्रसाद के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के बावत आदेश पारित हुआ है। तथा ग्राम–जयनगर के खाता नं0–59 रकवा–39 डी० भूमि का रामसेवक साव, राम अवध प्रसाद एव प्रवीण प्रसाद के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता नं0–34, 36, 39, एवं 53 है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा वर्तमान भू–वापसी का अपिल मात्र सरस्वती देवी के विरूद्ध दायर किया गया है नियमतः सभी के विरूद्ध अपील दायर होना चाहिए था। निम्न न्यायालय के सभी पक्षकारों के विरूद्ध अपील दायर नहीं करना एक वैधानिक त्रुटि है इस आलोक में अपील का आवेदन खारिज करने योग्य

है। अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा जांच प्रतिवेदन में यह कहना कि आदिवासी रैयत 11 वर्षों से बेदखल हैं, पूर्णतः असत्य है। आदिवासी रैयत प्रश्नगत प्लॉट नं0–661 से वर्ष–1919 से बेदखल है इस तथ्य की पुष्टि निबंधित दस्तावेजों एवं हाल सर्वे में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से होता है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद सख्या–19/14–15, 25/15–16 में छोटानागपुर काश्तारी अधिनियम की धारा 46 (4) (A) के प्रावधानों के अनुरूप उभय पक्षों के कागजातों का विश्लेषण करने के पश्चात् आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतः विधि सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अपील के आवेदन में निम्न न्यायालय के आदेश मे हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार का उल्लेख नहीं किये हैं। निम्न न्यायालय के आदेश का अर्थ है कि आदिवासी रैयत प्रश्नगत भूमि से 12 वर्षों से अधिक समय से बेदखल हैं। इस आलोक मे प्रथम पक्ष का आवेदन पोषणीय नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया कि उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन करने तथा अंचल अधिकारी, पतरातु से प्राप्त अभिलेख के आदेश फलक के अनुशीलन करते हुए अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि स्पष्ट है कि ग्राम–सौन्दा का खाता सं0–59, प्लॉट सं0–661, रकवा–97 डी० भूमि का खतियान दिलका पाहन के नाम से है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज को प्रश्नगत् भूमि 1931 में निबंधित विक्रय दस्तावेज से हासिल है। वर्ष 1941 में चले बंटवारा वाद सं0–62/1941 में भी प्रश्नगत् भूमि को भुनेश्वर महतो के दखल–कब्जा में दर्शाया गया है। इनके पूर्व हुलास नारायण महतो वर्ष–1919 में प्रश्नगत् भूमि को बंदोबस्ती में प्राप्त किये हैं। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता हे कि आदिवासी रैयत प्रश्नगत् भूमि से 11 वर्षों से अधिक अवधि से बेदखल है। तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–17.03.2017 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पतरातु/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वे खतियान में ग्राम सौन्दा के खाता सं0 69, प्लॉट स0 661, रकवा–0.97 एकड़ भूमि दिलका पहान के नाम से दर्ज भूमि आदिवासी खाते की है। जिसकी जमाबंदी पतरातु अंचल के राजस्व पंजी में दर्ज है एव सरकारी रसीद निर्गत है। आदिवासी रैयत 11 वर्षों से बेदखल हैं, भू–वापसी की जा सकती है। विषयगत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित दस्तावेज संख्या–416, दिनांक 08.03.1919 के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने एवं वर्ष–1931 में निबंधित दस्तावेज संख्या–708 दिनांक 16.04.1931 के माध्यम से द्वितीय पक्ष के पूर्वज भुनेश्वर महतो को प्राप्त हुआ है के आधार पर भूमि का दावा किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा विषगत वाद के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम सौन्दा के खाता सं0–69, रकबा–0.97 एकड़ भूमि पंजी–II के पेज सं0 152/1 में भुनेश्वर साव पिता उमानाथ साव के नाम से दर्ज है। लेकिन उक्त किसी भी जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा विषयगत वाद के आदेश फलक में अंकित किया गया है कि मौजा सौन्दा के सर्वे खतियान में

खाता सं0 34 झगरूआ मुण्डा वो खाता स0–36 एवं 69 दिलका पाहन तथा ग्राम जयनगर के सर्वे खतियान में खाता सं0–59 दिलका पाहन, पिता– पुरना पाहन के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से उक्त भूमि में जमाबंदी गैर आदिवासी के नाम से कायम है तथा गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी को 11 वर्षों से बेदखल कर दिया। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का यह कहना की वर्ष 1968 में सुलहनामा के आधार पर उन्हें भूमि मिली है तथा उनके द्वारा (बालमति देवी) वर्ष 1974–75 से. 2006–07 तक लगान रसीद को प्रति प्रस्तुत किया गया है। अर्थात इससे यह प्रतीत होता है कि इनकी जमाबंदी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि से खतियानी रैयत (आदिवासी) 11 वर्षों से बेदखल है. दोनों बातों से विरोधाभाष उत्पन्न होता है। प्रथम पक्ष खतियान के आधार पर तथा द्वितीय पक्ष केवाला या स्वत्व वाद में सुलहनामा के आधार पर दावा करते हैं। अर्थात दोनों पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते हैं। यह मामला स्वत्व वाद से संबधित प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में पारित आदेश एवं प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा निबंधित दस्तावेज संख्या–416 दिनांक 08.03.1919 के आधार पर वर्ष 1974–75 से 2006–07 तक लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी लंबे समय से चली आ रही है। जबकि प्रथम पक्ष द्वारा 11 वर्षों से भूमि पर बेदखल बताया जा रहा है, विरोधाभाष उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में पारित आदेश से असहमत होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

30/4/2026

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

30/4/2026

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.06.13 10:24:35 +05:30
Location: 192.168.0.10